न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलेक्टर शाहपुरा जिला शाहपुरा
पीठासीन अधिकारी– श्री मुकेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 –	तारीख दायर	तारीख फैसला
44 / 2020 / वाद पत्र	01.09.2020	28.02.2024

उनवान

1. कंवर लाल पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– वादी

बनाम

1. केलाशी पुत्री तेजू बावरी पत्नी गोकल बावरी हाल निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2. घनश्याम पिता तेजू बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. प्रेमा उर्फ प्रेमचन्द पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
4. रामनिवास पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
5. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार व इन्द्राज दुरूस्ती

उपस्थितः– श्री अनिल कुमार शर्मा – अधिवक्ता वादीगण

निर्णय

उनवानी मामले में वाद पत्र दुरूस्ती बावत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार व इन्द्राज दुरूस्ती न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है – वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 01 लगायत 04 एक ही परिवार के सदस्य है जिसका सजरा निम्नानुसार है।

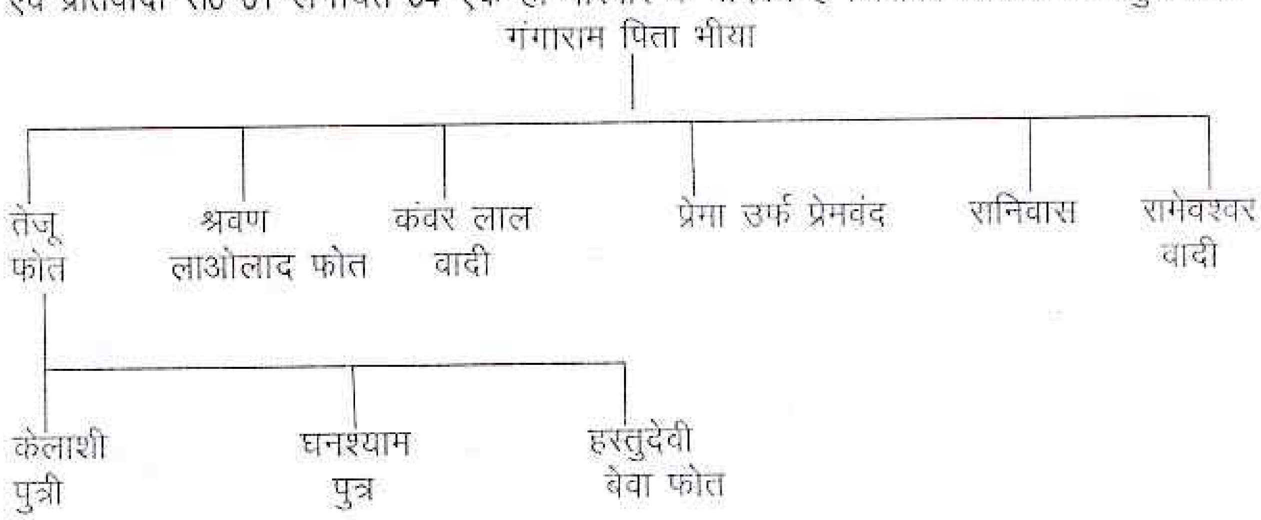

सजरे के अनुसार गंगाराम के 6 उत्तराधिकारी है सबसे बडे पुत्र तेजू उससे छोटा श्रवण उससे छोटा कंवरलाल जिसको राजस्व अधिकारियों ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय रामकुश लिख दिया कंवरलाल से छोटा प्रेमा उर्फ प्रेम चंद इससे छोटा रामनिवास व सबसे छोटा पुत्र

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

रामेश्वर है जिसको राजस्व अधिकारियों ने नामान्तरकरण दर्ज करते समय हरिशंकर लिख दिया। तेजू के केलाशी देवी एक पुत्री घनश्याम एक पुत्र है तथा तेजू की बेवा तो हस्तुदेवी जो वर्तमान में फोत हो चुकी है। श्रवण अविवाहित ही फोत हो गया। राजस्व ग्राम खामोर में वादीगण एवं प्रतिवादी सं0 01 लगायत 04 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात आराजी नम्बर 1409 रकबा 0.07 है0, 1487 रकबा 0.04 है0, 1490 रकबा 0.38 है0, 1491 रकबा 0.37 है0, 1492 रकबा 0.68 है0, 1525 रकबा 0.42 है0, 1527 रकबा 0.21 है0, 1544 रकबा 0.04है0, 1551 रकबा 0.23 है0, 1611 रकबा 0.02 है0, 1612 रकबा 0.02 है0, 1613 रकबा 0.15 है0, 1614 रकबा 0.05 है0 कुल किता – 14 रकबा 3.15 है0 भूमि स्थित है। वाद पत्र के कालम सं0 02 में वर्णित कृषि आराजी जो कि पूर्व में गंगाराम पिता भीया के खातेदारी में दर्ज थी तथा गंगाराम के फोत होने के पश्चात जरिये नामान्तरकरण सं0 1375 के उक्त पेरा सं0 02 में वर्णित साबिक कृषि आराजियात की खातेदारी तेजू, श्रवण, रामकुश, प्रेमा, रामनिवास एवं हरिशंकर के नाम बहेसियत खातेदारी के दर्ज की गयी। जबकि उक्त नामान्तरकरण दर्ज करते समय हल्का पटवारी द्वारा वादी कंवरलाल की जगह रामकुश दर्ज कर दिया व वादी सं0 02 रामेश्वर की बजाय हरिशंकर दर्ज कर दिया जबकि गंगाराम के हरिशंकर के नाम की कोई संतान नहीं होकर रामेश्वर व गंगाराम के रामकुश नाम की कोई संतान नही होकर कंवरलाल है। राजस्व अधिकारियों ने विरासत से खाता दर्ज करते समय गंगाराम के दोनों पुत्र कंवरलाल, रामेश्वर के बजाय रामकुश व हरिशंकर दर्ज कर दिया गया जबकि रामकुश व हरिशंकर के नाम की कोई संतान गंगाराम के नहीं थी व नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वाद पत्र के पेरा सं0 02 में वर्णित आराजियात में वादीगण का नाम गंगाराम के बजाय विरासत से रामकुश व हरिशंकर दर्ज कर दिया जबकि रामकुश व हरिशंकर का नाम हटाया जाकर इनकी जगह कंवर लाल व रामेश्वर का नाम खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये सम्मन नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 19.01.2021 को प्रतिवादीगण सं. 01 लगायत 04 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने के बावजूद उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही गयी। दिनांक 08.10.2021 को प्रकरण प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत ग्राम पंचायत खामोर पर सुनवाई हेतु रखा जाने से पेश हुआ है। जहां स्वयं वादी मय वकील उपस्थित हुआ पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब की प्रति अभिभाषक वादीगण को उपलब्ध करवाई गयी। शिविर में पटवारी हल्का खामोर द्वारा वादीगण के नाम की जानकारी कर मजमे आम में गावं के मौतबिरान के समक्ष मौका पर्चा तैयार किया गया जिसमें बताया कि कंवरलाल के बचपन का नाम रामकुश व रामेश्वर के बचपन का नाम हरशिंकर था बाल अवस्था में इन्हें इन्ही नामों से जाना जाता था जिससे गंगाराम के पुत्र कंवरलाल का नाम राजस्व रेकार्ड में रामकुश व रामेश्वर का नाम हरिशंकर गलत दर्ज हो गया। रामकुश व कंवरलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम है तथा हरिशंकर व रामेश्वर भी एक ही व्यक्ति के दो नाम है। अतः रामसुख के स्थान पर कंवरलाल व हरिशंकर के स्थान पर रामेश्वर किया जाना उचित है। मजमे आम में बनाये गये मौका पर्चा पर मौतबिरान, सरपंच के हस्ताक्षर करवाये गये। नाम से भी जाना जाता है। जबकि शैक्षणिक दस्तावेजों एवं अन्य दस्तावेजों में नाम कंवरलाल, रामेश्वर के नाम से ही बने हुए है। दिनांक 16.08.2022 को प्रकरण पुनः मुख्यालय शाहपुरा पर पेश हुआ। प्रकरण कायमी तनकियात के नियत किया गया। दिनांक 13.02.2024 को प्रकरण में प्रस्तुत पेरोकार जवाब में वाद पत्र के किसी भी बिन्दु का खण्डन नहीं किये जाने से प्रकरण कायमी तनकियात के स्थान पर साक्ष्य वादीगण के नियत किया गया। पेरोकार सरकार द्वारा मजमे आम में बनाये गये मौका पर्चा अनुसार नाम शुद्ध किये जाने में कोई आपत्ति नहीं जताई। दिनांक 28.02.2024 को अभिभाषक वादीगण निवेदन किया गया। प्रकरण काफी समय से विचाराधीन है। एवं प्रकरण नाम शुद्धि का होकर प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के दौरान मजमे आम में पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा में भी वादीगण का रामकुश व कंवरलाल एक ही व्यक्ति के दो नाम होना तथा हरिशंकर व रामेश्वर भी एक ही व्यक्ति के दो नाम होना अंकित। तथा रामसुख के स्थान पर कंवरलाल व हरिशंकर के स्थान पर रामेश्वर किया जाना उचित है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

मजमे आम में बनाये गये मौका पर्चा पर मौतबिरान, सरपंच के हस्ताक्षर करवाये गये। अतः साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं मौका पर्चा अनुसार वाद स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड, एवं अन्य रेकार्ड को देखा। ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर की जमाबंदी संवत् 2076 से 2079 के खाता सं. 140 में रामकुश पिता गंगाराम, हरिशंकर पिता गंगाराम दर्ज रेकार्ड है। पटवारी हल्का खामोर द्वारा मजमे आम में बनाये मौका पर्चा द्वारा प्रमाणित किया गया है कि वादी रामकुश व कंवर लाल एवं हरिशंकर व रामेश्वर एक ही व्यक्ति होकर है। एवं पेरोकार सरकार द्वारा भी उक्त मौका पर्चा के आधार पर नाम शुद्ध किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं होना बताया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित समझता हूं।

—:: आदेश ::—

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88—89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 किया जाकर डिक्री बहक वादी के इस आशय की जारी की जाती है कि वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में की आराजी 1409 रकबा 0.07 है0, 1487 रकबा 0.04 है0, 1490 रकबा 0.38 है0, 1491 रकबा 0.37 है0, 1492 रकबा 0.68 है0, 1525 रकबा 0.42 है0, 1527 रकबा 0.21 है0, 1544 रकबा 0.04है0, 1551 रकबा 0.23 है0, 1611 रकबा 0.02 है0, 1612 रकबा 0.02 है0, 1613 रकबा 0.15 है0, 1614 रकबा 0.05 है0 कुल किता — 14 रकबा 3.15 है0 में दर्ज वादी का नाम रामकुश के स्थान पर कंवरलाल एवं हरिशंकर के बजाय रामेश्वर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है। डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एव सहायक कलेक्टर
शाहपुरा,जिला शाहपुरा (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला-शाहपुरा (राज.)

डिक्री व मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 नियम 6–7 जाप्ता दिवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला शाहपुरा (राज0)

बईजलास श्री मुकेश कुमार मीणा, (आर0ए0एस0) उपखण्ड अधिकारी

उनवान

1. कंवर लाल पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
2. रामेश्वर पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— वादी

बनाम

1. केलाशी पुत्री तेजू बावरी पत्नी गोकल बावरी हाल निवासी ढीकोला तहसील शाहपुरा
2. घनश्याम पिता तेजू बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
3. प्रेमा उर्फ प्रेमचन्द पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
4. रामनिवास पिता गंगाराम बावरी निवासी खामोर तहसील शाहपुरा
5. तहसीलदार शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र : बाबत घोषित किये जाने खातेदार काश्तकार व इन्द्राज दुरूस्ती

मुकदमा नम्बर 44 सन् 2020 राजस्व वाद

यह मुकदमा अज वास्ते इनफिसल कतई रूबरू अदालत व हिजरी वकील वादी मिनजानिब मुदई व ....X.............................. मिनजानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है। डिक्री दी जाती है कि :—

वाके ग्राम खामोर पटवार हल्का खामोर तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में की आराजी 1409 रकबा 0.07 है0, 1487 रकबा 0.04 है0, 1490 रकबा 0.38 है0, 1491 रकबा 0.37 है0, 1492 रकबा 0.68 है0, 1525 रकबा 0.42 है0, 1527 रकबा 0.21 है0, 1544 रकबा 0.04है0, 1551 रकबा 0.23 है0, 1611 रकबा 0.02 है0, 1612 रकबा 0.02 है0, 1613 रकबा 0.15 है0, 1614 रकबा 0.05 है0 कुल किता — 14 रकबा 3.15 है0 में दर्ज वादी का नाम रामकुश के स्थान पर कंवरलाल एवं हरिशंकर के बजाय रामेश्वर राजस्व रेकार्ड में संशोधन किये जाने के आदेश तहसीलदार शाहपुरा को दिये जाते है।

निज मुबलिग, बाबत खर्चा, इस मुकदमें में सूद शहर फौसदी सालाना आज तारीख से तारीख व सूलयाबी तक अदा करे।

बाबत मेरे दस्तखत व मोहर से आज **तारीख 28 माह 02 सन् 2024** को जारी की गई।

(मुकेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर शाहपुरा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलेक्टर
शाहपुरा, जिला शाहपुरा (राज.)